UPHM010014002026

**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।**

**पीठासीन अधिकारी– रनवीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)**

J.O. Code– UP06459

**जमानत प्रार्थना पत्र सं०–664/2026**

1. **प्रेमशंकर** पुत्र सिद्धगोपाल उम्र 43 वर्ष,
2. **सुमित्रा** पत्नी प्रेमशंकर उम्र 40 वर्ष,
3. **रामआसरे** पुत्र रिगुवा उम्र 43 वर्ष व

निवासीगण थोक ऊंछा, कस्बा व थाना सुमेरपुर, जिला हमीरपुर उ०प्र०।

4. **प्रमोद कुमार** उम्र 40 वर्ष पुत्र शंकर लाल अहिरवार निवासी गौरहरी, थाना चरखारी, जनपद महोबा ।

**.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ।**

**बनाम**

राज्य सरकार

**.....अभियोजक ।**

मु०अ०सं०–224/2025
धारा–191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 324(4) बी०एन०एस०
थाना– सुमेरपुर, जिला–हमीरपुर

**12.06.2026**

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **प्रेमशंकर, सुमित्रा, रामआसरे व प्रमोद कुमार** उपरोक्त की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना, मु०अ०सं०–224/2025, धारा–191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 324(4) बी०एन०एस०, थाना– सुमेरपुर, जिला–हमीरपुर के प्रकरण में दिया गया है। उक्त मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने स्वेच्छया से न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा रामपाल पुत्र रामसजीवन निवासी ग्राम कैथी थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर के मौजा सुमेरपुर गाटा सं०–2816/3 रकबा 0.79 डि पूरब खेत शान्ती देवी, पश्चिम खेत बरदानी, उत्तर खेत विकास सिंह व आशीष सिंह, दक्षिण खरीदे गए खेत में जाने का रास्ता की चौहद्दी का दिनांक 23.03.2024 को जरिए बैनामा धुरुवा उर्फ प्रहलाद के वारिसों से खरीदा और खरीदे गए खेत में कब्जा दखल मिला था। मानसिंह आदि उसके खेत में कब्जा करना चाहते थे, परन्तु नहीं कर पाए इस पर सिविल न्यायालय में गलत मुकदमा दायर किया उसमें भी कोई आदेश मानसिंह के पुत्रों को नहीं मिला उससे मानसिंह उसके पुत्र उससे रंजिश मान गए। दिनांक 22.06.2025 को खरीदे गए खेत की फसल में तारबाड़ी चारों ओर से करके ट्रैक्टर से जुतवाने लगा कि उसी दिन दिनांक 22.06.2025 को समय करीब 01:00 बजे दिन में उसके खेत में ट्रैक्टर से जोतते वक्त कस्बा सुमेरपुर का दबंग हिस्ट्रीशीटर व सजायाफ्ता मानसिंह अपने दोनों लड़के आशीष सिंह व विकास सिंह व 10–11 व्यक्ति जिसमें एक महिला तथा दो व्यक्ति दोनाली बन्दूकधारी एकबारगी से उसको बुरी–बुरी तरह–तरह की गालियां देते हुए सरेआम जान से मारने की धमकी दी और कहा उसके खेत के बगल में उसकी खेत लेने की हिम्मत कैसे पड़ी और उसको मारापीटा। ट्रैक्टर को क्षति पहुंचायी और खेत की चारों तरफ तारबाड़ी को तोड़ दिया। छायादार बनी मडैया को भी तोड़ दिया व ईगल आदि ले गए, जिसमें पचास हजार रुपये से अधिक की क्षति हुई। उपरोक्त आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया ।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि वे हरिजन यानि अनुसूचित जाति के है, उनका पेशा मजदूरी का है। दिनांक 22.06.2025 को वे गाटा सं०–2816/3 रकबा 79 डि० पूरब खेत शान्ति देवी, पश्चिम खेत बरदानी, उत्तर खेत विकास सिंह व आशीष सिंह दक्षिण खरीदे गए खेत में जाने के रास्ते में नहीं गये थे और न ही उस खेत में उनको किसी ने काम के लिए बुलाया था । दिनांक 22.06.2025 को वे गाटा सं0 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847 मौजा सुमेरपुर तहसील व जिला हमीरपुर जिसकी चौहद्दी पूरब खेत शान्ति देवी व भोला प्रजापति, पश्चिम खेत आशीष सिंह, विकास सिंह उत्तर खेत विकास सिंह, आशीष सिंह आदि

Digitally signed by Ranveer Singh
Date: 2026.06.15 08:19:35 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दक्षिण सिंह के ट्यूबबेल से चरु के लिए सिचाई करते थे क्योंकि यह खेत चरु के लिए किराए पर लिए थे । सुमेरपुर कस्बे का गुलबदन सिंह व रामपाल जमीनों में विवाद करके कब्जा करने का काम करते है, ग्राम कैथी से लठैत लेकर आते है और जमीनों में कब्जा करने का प्रयास करते है जब कब्जा नहीं कर पाते है तब पुलिस को मिलाकर कब्जा करते है, सस्ते मद्दे जमीन को महगे दामों में बेचते है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक देरी से विचार विमर्श के बाद दर्ज कराई गयी है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कथित घटना में कोई चुटहिल नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व साक्षियों के बयान में ट्रैक्टर नं0 नहीं दिया गया है, बाद में एक ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन पुलिस के सहयोग से लगा दिया गया। उनका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य किसी न्यायालय या उच्च न्यायालय में उनकी जमानत प्रेषित नहीं की गयी है, न ही खारिज हुई है, और न ही विचाराधीन है । उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

वादी को नोटिस तामील है, किन्तु वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया ।

मैंने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया ।

अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण **प्रेमशंकर, सुमित्रा**, **रामआसरे व प्रमोद कुमार** पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 22.06.2025 को समय करीब 01:00 बजे दिन, स्थान खेत वादी, बहद कस्बा व थाना सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर में विधि विरुद्ध जमाव कर घातक आयुध से सज्जित होकर वादी मुकदमा रामपाल के साथ मारपीट करने, गाली–गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने तथा उसके ट्रैक्टर को क्षति पहुंचाने व उसकी छायादार बनी मडैया को भी तोड़ देने व ईगल आदि ले जाकर 50000 रुपये की रिष्टि कारित करने का आरोप लगाया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण ने स्वेच्छया से आत्मसमर्पण किया है। दौरान विवेचना अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की **एस.एल.पी.(क्रि) नं0- 5191/ 2021 सतेन्द्र कुमार अंतिल प्रति सी.बी.आई.** के अनुक्रम में अभियुक्तगण अन्तरिम जमानत पर थे। अभियुक्तगण द्वारा अन्तरिम जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है ।

**<u>आदेश</u>**

आवेदकगण/अभियुक्तगण **प्रेमशंकर, सुमित्रा**, **रामआसरे व प्रमोद कुमार** की ओर से, मु०अ०सं०–224/2025, धारा–191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 324(4) बी०एन०एस०, थाना– सुमेरपुर, जिला–हमीरपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा अंकन 20,000–20,000/– (बीस–बीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाये ।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर वह स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होंगे।
2. अभियुक्तगण आरोप विरचन तथा बयान अभियुक्तगण के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर वह न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।
4. साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेंगे।
5. यदि अभियुक्तगण जमानत के शर्तों का उल्लंघन करता है तो अभियोजन अभियुक्तगण की जमानत निरस्त किए जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है।

**दिनांक** 12.06.2026

**(रनवीर सिंह),**
**अपर सत्र न्यायाधीश /**
**विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी एक्ट),**
**हमीरपुर ।**
**(आई.डी. UP06459)**